न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

प्रकरण संख्याः– 97/2019

निर्णय दिनांक :– 11.12.2019

बलराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)।

वादी

बनाम

स्टैट जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ प्रतिवादी

उपस्थितः–

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी की तरफ से ।
2. श्री राज पेरोकार प्रतिवादी की तरफ से ।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी ए

वादी ने जरिये अभिभाषक इस न्यायालय में वास्ते घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का एक दावा पेश किया जिसके जो सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2102/1254 तादादी 0.2600 हैक्टेयर रोही शेरूणा में स्थित है जो वादी ने जरिये उपहार पत्र खरीद किया है वादी के खेत के चारो तरफ सीमा कायम है मौके पर सीमाओ के अनुसार वादी के खेत की उतरी सीमा 65 मीटर दक्षिणी सीमा 65 मीटर पूर्वी सीमा 40 मीटर पश्चिमी सीमा 40 मीटर कायम है। मौके पर कायम सीमाओ के अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा था जो आज भी लगातार उसी अनुसार कब्जा काश्त कायम है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेत का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है जिसको सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में तादादी 0.2600 हैक्टेयर है उसी अनुसार वादी के खेत की सीमाऐ कायम है एवं मौके पर वादी का 0.2600 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त कायम है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जिससे वादी के खेत के राजस्व अक्श में एवं मौके पर काफी अन्तर हो गया है वादी के खेत के राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है। वादी के खेत की जमाबन्दी में एवं मौके पर तादादी 0.2600 हैक्टेयर होने से एवं राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे एवं तादादी के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

से वादी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकारी है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि वादी के खेत खसरा नंबर 2102/1254 तादादी 0.2600 हैक्टेयर रोही शेरूणा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर 2102/1254 तादादी 0.2600 हैक्टेयर रोही शेरूणा की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी की तरफ से स्टेट की तरफ से जबाब पेश हुआ कि खसरा नम्बर 2102/1254 तादादी 0.2600 हैक्टेयर रोही शेरूणा के चारो तरफ पट्टिया रोपी हुई है मौके के अनुसार सड़क पर चौडाई 40 मीटर एवं 65 मीटर है। राजस्व नक्शे में मौके कब्जे के विपरीत है।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। स्टेट को वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 2102/1254 तादादी 0.2600 हैक्टेयर रोही शेरूणा तहसील श्री डूँगरगढ की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काकश्त के अनुसार घोषित किया जाता है । तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ तद्नुसार तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें । डिक्री जारी हों । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 11..12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । निर्णयं सुनाया गया।

(राकेशकुमार न्यौल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner